



प्रेस नोट

थाना हापुड़ नगर

19.07.2021

हापुड़ पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अंतर्गत थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट/गाली गलोंच के अभियोग में 06 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा पॉक्सो अधिनियम सम्बन्धी अपराधों के माननीय न्यायालय में प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अंतर्गत थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 617/17 धारा 147,148,149,307,452,504 भादवि से सम्बन्धित वाद में माननीय न्यायालय हापुड़ में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 06 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1- जावेद पुत्र मुमताज निवासी मौहल्ला मदरसा सादात थाना हापुड़ नगर जिला हापुड़ ।
- 2- प्रिन्स उर्फ नावेद पुत्र मुमताज निवासी मौहल्ला मदरसा सादात थाना हापुड़ नगर जिला हापुड़ ।
- 3- औरंगजेब पुत्र महाराज निवासी मौहल्ला मदरसा सादात थाना हापुड़ नगर जिला हापुड़ ।
- 4- चमन पुत्र जमशैद निवासी मौहल्ला मदरसा सादात थाना हापुड़ नगर जिला हापुड़ ।
- 5- शानू पुत्र सिराज निवासी मौहल्ला मदरसा सादात थाना हापुड़ नगर जिला हापुड़ ।
- 6- महाराज पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला मदरसा सादात थाना हापुड़ नगर जिला हापुड़ ।

दण्ड का विवरण:-

माननीय न्यायालय हापुड़ द्वारा पारित अपने निर्णय में अभियुक्त जावेद उपरोक्त आदि 06 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा ।